

प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन भाषण

07 जनवरी, 2005

मुंबई

"मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे आज मुंबई में तीसरे प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर यहां आए प्रतिनिधियों का स्वागत करने का अवसर मिला है। इस सम्मेलन में मैं आप सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले भी नई दिल्ली में दो सम्मेलन हो चुके हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए मुंबई में आयोजित यह सम्मेलन "महान प्रवासी" महात्मा गांधी की याद दिलाता है जो 90 वर्ष पूर्व इसी सप्ताह यहां आए थे और जिनकी याद में हम यह ऐतिहासिक समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं मोहनदास करमचन्द गांधी का जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने स्वदेश लौटते समय 9 जनवरी, 1915 को मुंबई में अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ अपोलो बन्दरगाह पर अपने कदम रखे थे। जहाँ उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा और बापू के रूप में सम्मान और स्नेह दिया जाएगा। यह सम्मेलन मुंबई में गांधी जी के आगमन के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।

मुझे वह दिन याद है जब महात्मा गांधी ने 1915 में मुंबई आने पर बम्बई क्रोनिकल के रिपोर्टर से वार्तालाप करते हुए यह कहा था कि मुझे और मेरी पत्नी को अपनी प्रिय मातृभूमि पर वापस आने पर बेहद प्रसन्नता हुई है और जनता ने जिस प्रकार से हमारा हार्दिक अभिनंदन किया है उससे हम दोनों की खुशी और बढ़ गई है और हम भाव विभोर हो गए हैं। मेरे विचार से भविष्य में अच्छे कार्य करके ही हम इस स्वागत के हकदार हो सकेंगे। उस समय गांधी जी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके द्वारा कहे गए ये शब्द कितने सही सिद्ध होंगे। इतिहास में उनके परवर्ती कार्यों की महिमा स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है जिसने हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया। महात्मा गांधी से बड़ा शायद ही कोई प्रवासी हो। परन्तु हमारी प्राचीन और सहृदय मातृभूमि महात्मा गांधी के समान ही आपसब का स्नेह और सहृदयता से स्वागत करती है। इसके बदले में यह आप सबसे निःस्वार्थ स्नेह की अपेक्षा रखती है। मुझे विश्वास है कि "भावी कार्यों" से आप भी बापू और कस्तूरबा के समान हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित करेंगे।

जिस ब्रिटिश साम्राज्य, की गुलामी की जंजीरों से गांधी जी ने हमें आजाद कराया था, उस के बारे में यह कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। अगर आज ऐसा कोई साम्राज्य है जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, तो वह हमारी प्रतिभाओं का, हमारी मातृभूमि के सपूतों का साम्राज्य है जो वर्तमान में एशिया, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका और वस्तुतः अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं। हमारे आज के सम्माननीय मुख्य अतिथि धरती के दूसरे छोर पर स्थित सूरीनाम के उपराष्ट्रपति महामहिम जूल्स रत्नकोयमार अजोधिया हैं।

19वीं और 20 वीं शताब्दी की समग्र अवधि 'प्रवासी भारतीय' की संकल्पना पर विचार करने में ही बीत गई। आज 21 वीं शताब्दी के आगमन पर हमारी इस संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का समय आ गया है हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, हम विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, हमारे खान-पान अलग-अलग है और इसी प्रकार से हमारे पहनावे में भी विविधता है। हम भारतीयों की संख्या एक बिलियन से भी अधिक है और विदेशों में रहने वाले भारतीय,

जिनकी संख्या 25 मिलियन से भी अधिक है, अलग-अलग 110 देशों में रहते हैं। इन सबसे के बीच एकता की संकल्पना हम सबको एक सूत्र में बांधे हुए है वह है "भारतीयता" की संकल्पना।

हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर विलक्षण परिवर्तन होते रहते हैं। मानव इतिहास में इतनी बड़ा आबादी वाला कोई भी ऐसा देश नहीं है, जिसमें अधिकांश लोग गरीब हों, जो ऐसा लोकतांत्रिक गणराज्य चाहने, पाने और उसे बनाने में सफल हुए हों तथा जिसमें एक ही पीढ़ी में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी हो गई हो। हमने ऐसा कर दिखाया है। हमें अपनी प्राचीन सभ्यता के समग्र गौरव को प्राप्त करने में अभी लम्बी दूरी तय करनी है परंतु अनेक उतार-चढ़ाव आने पर भी हमने कुछ हद तक यह दूरी तय कर ली है और अब यह एक ऐसा यात्रा है जिसमें प्रवासी भारतीय भागीदार और मित्र के रूप में हमारे साथ गर्व से शामिल हो रहे हैं। विश्व स्तर पर अपने प्रवासी होने और अपनी प्रगति के पथ पर कठिनाइयां होने के बावजूद भी आप सबने हमें यह गौरव प्रदान किया है।

विश्व भर में भारतीय मूल के लोगों की पूर्व में प्रवास करने की चार वजह थी। सबसे पहली तथा संभवतया सबसे बड़ी वजह यह थी कि भारतीय लोग यात्रियों, अध्यापकों तथा व्यापारियों के रूप में ज्ञान अर्जित करने तथा अवसर की तलाश में विदेश गए। करारनामे के अन्तर्गत श्रमिकों के रूप में, भारतीयों का मजबूरन प्रवास जो कि उप निवेशवाद की परंपरा रही है; इसकी दूसरी वजह थी। तीसरी वजह थी देश का बंटवारा। कार्य में कुशल भारतीयों द्वारा अवसर तलाशने व चुनौतियों का सामना करने, ज्ञान अर्जित करने तथा समूची नई दुनिया देखने की प्रक्रिया में साहसिक एवं रोमांचकारी कार्य करने के लिए विदेश जाना चौथी और हाल ही की नई वजह है। इन्हीं प्रवासियों में से आप कुछ लोग आज यहां एकत्रित हुए हैं जिनके प्रवास करने की वजह चारों में से कोई न कोई एक है। हम सभी में एक साझी विशेषता है और वह है हमारी अन्तर्निहित भारतीयता। यह मूल्यों एवं मान्यताओं का जटिल मिश्रण है जो भावनात्मक जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह विश्व इतिहास में एक अद्वितीय घटना है, लेकिन यह पूरे विश्व को देखना है, जैसे मैं यहां मौजूद हूँ और यही झलक मैं आपमें भी स्पष्ट देखता हूँ।

निःसंदेह भावना से अधिक कुछ ऐसी वास्तविकता है जो आज हमें परस्पर और अधिक नजदीक लाती है। हम अपने देश में ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं जिससे विदेशों में बसे भारतीय एक बार पुनः अपनी प्राचीन मातृभूमि से सार्थक रूप से जुड़ सकें। यह प्रक्रिया तब शुरू हुई जब हमने 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और आधुनिकीकरण किया। परवर्ती सरकारों ने भी कई अनुवर्ती कदम उठाए जिससे विदेशों में बसे भारतीय स्वदेश में निवेश करने लगे हैं और निर्बाध रूप से भारत में आने-जाने लगे हैं। अभी हाल में कई लोगों के लिए अपने मेजबान देशों में तथा स्वदेश दोनों में व्यावसायिक कैरियर तथा कारोबार को साथ-साथ बढ़ाना भी संभव हो गया है। ऐसे भारतीयों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है जिनके लिए विदेश और भारत दोनों ही स्वदेश जैसे हैं। कुछ तो समांतर कैरियर को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि कुछ केवल छुट्टी मनाने के लिए ही भारत आते हैं। वजह कोई भी हो हमारे विमान पत्तनों पर आवागमन बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारी सरकार ने आधुनिक समय की मांगों को पूरा करने के लिए नई सिविल विमानन नीति तैयार की है। व्यस्ततम सीजन के लिए हमने विमानन सेवाओं में पहले से ही विस्तार कर दिया है। हमने भारतीय निजी विमानन कम्पनियों को विदेशों में उड़ान भरने की अनुमति दे दी है। हम मुख्य महानगरों में नए अन्तरराष्ट्रीय विमान

पत्तनों का निर्माण कर रहे हैं और शीघ्र ही हम देश के 30 अन्य विमान पत्तनों को आधुनिकीकृत बना देंगे ।

हमारी सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीयों की चिरकालिक मांग, अर्थात् उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान करने की मांग को पूरा करने के लिए उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय भी ले लिया है । मुझे पता है कि इससे पहले के दो सम्मेलनों में दोहरी नागरिकता प्रदान करने का वादा किया गया था और मुझे खेद है कि इस आशय की घोषणा को अमल में लाने के लिए कुछ नहीं किया गया । सरकार को इस सुविधा के लिए कुछ विशिष्ट देशों को अधिसूचित करने के मूल प्रस्ताव के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने उन सभी विदेशी भारतीयों को दोहरी नागरिकता की सुविधा तब तक देने का निर्णय किया है, जिन्होंने 26 जनवरी, 1950 के बाद भारत से प्रव्रजन कर किया था जब तक उनके देश अपनी स्थानीय विधियों के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति देंगे। मुझे आशा है कि ऐसा भी दिन आएगा जब प्रत्येक विदेशों में बसे भारतीय, जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है वास्तव में उसे प्राप्त कर सकेगा । मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस दिशा में कार्य करूंगा ।

हमारी सरकार विदेशों में बसे भारतीयों के लिए नागरिकता संबंधी आवेदन पत्रों को भी सरल बनाएगी । पहले से निर्धारित तीन फार्मों को मिलाकर एक नया प्रयोक्ता अनुकूल फार्म भी तैयार किया गया है और उसे शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा । बाद में हम भारत के विदेशों में रहने वाले नागरिकों के रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र के फार्मेट को भी सरल बनाएंगे । स्मार्ट कार्डों की संभावना सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है । मुझे उम्मीद है कि इस दस्तावेज को जारी करने से संबंधित सुरक्षा, प्रचालना और अन्य पहलू पर निर्णय बिना किसी विलंब के शीघ्र ही ले लिया जाएगा ।

मैंने संबंधित मंत्रालयों से कहा है कि वे विदेशों में बसे नागरिकों के रजिस्ट्रेशन संबंधी लाभों की जानकारी दें ताकि हमारी इस नीति की स्पष्ट जानकारी मिल सके । मुझे इस बात की जानकारी है कि सरकार ने इस संबंध में कार्रवाई करने में बहुत अधिक समय लगा दिया है और अब मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि हम अविलंब संबंधित प्रक्रियाओं को शीघ्र ही पूरा कर सकेंगे ।

भारतीय प्रवासी दूर - दराज के क्षेत्रों में अपनी आजीविका कमाने, ज्ञान अर्जित करने, कौशल, प्रशिक्षण प्राप्त करने और व्यावसायिक अवसरों की तलाश में कई देशों की ओर गए । प्रवासियों का मनोविश्लेषण करना एक जटिल कार्य है । मैं इस बात को पूरी तरह से समझता हूँ क्योंकि मैंने भी कठिन परिस्थितियों और संकट के समय अपने जन्म स्थान से देशान्तरण किया था । घर और रैन बसेरे की तलाश में प्रवासियों के रूप में मेरे परिवार और मुझ जैसे कई अन्य परिवारों को कठिन परिश्रम करना पड़ा । हमें यह उम्मीद थी कि हम अपने मौजूदा जीवन को समृद्ध भविष्य में बदल सकेंगे । समूचे विश्व में अधिकांश प्रवासी समुदायों ने यह सच साबित कर दिखाया । लेकिन देवियों और सज्जनों, विदेशों में बसे आप भारतीयों ने स्वदेश से मिली शिक्षा की बुनियाद और कौशल अर्जन की सुविधाओं और मेजबान देश द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों के कारण सफलता पाई है । यही कारण है कि विदेशों में बसे भारतीयों के आशावादी दृष्टिकोण

ने मुझे हमेशा ही प्रभावित किया है। यही कारण है आप भारत को प्यार, स्नेह और अपनेपन की और आशाभरी नजर से देखते हैं। चाहे इसके लिए आपको हमारी बहुत सी प्रक्रियाओं से ही क्यों न गुजरना पड़े।

मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि पिछले दशक में हमने अपने देश में जो आर्थिक नीतियां लागू की थीं, उनके कारण आपके और हमारे पारस्परिक संबंध और गहरे हुए हैं और हमारी मातृभूमि के पुनर्निर्माण में और अधिक सार्थक ढंग से भागीदारी कर रहे हैं। इन नीतियों ने भारत को विश्व के आर्थिक क्षेत्र में एक प्रमुख विश्वव्यापी भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस असाधारण प्रगति के साथ-साथ हमारा देश ज्ञान आधारित क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है और निःसंदेह 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी बनने जा रही है।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमने जो सुधार प्रक्रिया प्रारंभ की थी, वह हमें आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की ओर ले जाएगी और उसका प्रभाव प्रशासन तंत्र तथा राज्य व्यवस्था पर भी पड़ेगा जिससे भारत में विकास का रथ निर्बाध रूप से आगे बढ़ेगा। आप भी प्रेरणास्रोत बनकर या हमारे यहां निवेश करके दोनों ही तरीकों से विकास में योगदान दे सकते हैं। जैसा कि लॉर्ड केन्स ने एक बार कहा था, कि निवेश विश्वास पर ही आधारित होता है। मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि आप भारत पर विश्वास करें। हम भविष्य में निर्माण की ओर अग्रसर हैं। हमारी सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय तथा विकास की समान प्रक्रिया में जनता में पुनः विश्वास उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने बहु आयामी, बहु सांस्कृतिक, बहु धार्मिक एवं बहु-जातीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम न्याय एवं समानता की नींव पर आधारित जो न्याय और समानता पर आधारित उदारवादी समाज तथा उदारवादी अर्थव्यवस्था के निर्माण करने तथा सभी मनुष्यों की स्वतंत्रता का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

साथियो,

मैं निजी तौर पर भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच घनिष्ठ एवं व्यापक पारस्परिक संपर्क के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इसीलिए हमारी सरकार ने एक नए एवं पृथक प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का गठन किया है। यह एक केंद्रीकृत मंत्रालय होगा जो कि प्रवासी भारतीयों से संबंधित सभी मामलों का निपटान एक ही स्थान पर कर सकेगा। यह एक नया मंत्रालय है और हम इसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों और इसकी प्राथमिकताओं के संबंध में प्राप्त सुझावों का स्वागत करेंगे। मेरी मंशा इस मंत्रालय को भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों के लिए मित्र और सहायक मार्गदर्शक के रूप में बनाने की है।

भारत, फारस की खाड़ी क्षेत्रों में बसे भारतीय मूल के लोगों का अत्यन्त कृतज्ञ है जिनके द्वारा नियमित रूप से भेजी जा रही वित्तीय धन राशि ने हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 130 अरब डालर हो गया है। खाड़ी के देशों के इन अनिवासी भारतीयों की कई समस्याएं हैं जिनमें उनके कार्य संबंधी अनुबंध एवं शर्तों से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं। मैं वादा करता हूँ कि हमारी सरकार इस दिशा में ठोस कार्रवाई करेगी और नया मंत्रालय इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएगा। अनिवासी भारतीयों की बचत राशि पर प्रतिलाभ को संरक्षित करना भी एक विधि संगत मामला है। सरकार इसके लिए उपयुक्त समाधान खोजने का प्रयास करेगी। यह बेहतर होगा कि हम

खाड़ी देशों में बसे अनिवासी भारतीयों के बैंकों में धन जमा करने की बजाए निवेश करने या उनके द्वारा ऋण देने या इक्विटी अभिमुख बचत करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करें। पिछले वर्ष शुरु की गई प्रवासी भारतीय बीमा योजना इस दिशा में पहला कदम है। हमारे बीमा प्रबंधकों को कुछ नव प्रवर्तित पॉलिसियों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

विदेशों में बसे भारतीयों की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि आप अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अत्यन्त सजग रहे हैं और इस पर बहुत अधिक निवेश किया है। दिलचस्प बात तो यह है कि कई भारतीय उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में जमाना चाहते हैं जबकि विदेशों में बसे कई भारतीय शिक्षा प्राप्त करने भारत में आ रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है। युवा भारतीय, युवा लोग घूमने-फिरने और विद्यार्थी के रूप में घर से दूर रहना पसंद करते हैं। मुझे इस अनुभव का लाभ मिला है और अब मेरी बेटियां भी इसका लाभ उठा रही हैं। मैं युवा प्रवासी भारतीयों को यहां आने के लिए तथा अपने देश के शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहां की पिछली सरकारों ने इस क्षेत्र में किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया परन्तु मुझे आशा है कि नया मंत्रालय मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने में विशेष रुचि लेगा और भारत में अध्ययन करने की इच्छा रखने वाले प्रवासी भारतीय छात्रों की अधिक से अधिक सहायता करेगा।

अनिवासी भारतीय हमारी विशाल जनसंख्या को उच्चतर शिक्षा के अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा देने में भी सार्थक प्रतिभागी हो सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रूपरेखा के अनुसार भारत में प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिए विदेशों में बसे भारतीयों के लिए आयोजित कार्यक्रमों पर भी इन सत्रों में चर्चा की जाएगी। क्योंकि अब हमने प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को प्रत्येक भारतीय बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया है इसलिए हमें इसे व्यवहार में लाने के लिए संसाधनों की तथा आवश्यक साधनों की आवश्यकता है। इसके लिए वह आवश्यक नहीं है कि केवल सरकारी निवेश में ही अंशदान किया जाए। ऐसे कई गैर सरकारी संगठन भी हैं जो सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं जिनकी आप सहायता कर सकते हैं। इनमें से कई संगठन ऐसे गांवों में कार्य कर रहे हैं जहां से आपके पूर्वजों ने प्रव्रजन किया था। उनकी सहायता करके आप हमारे पूर्वजों की पावन स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

हमें सामाजिक एवं आर्थिक, ग्रामीण एवं शहरी दोनों स्तरों पर आधारिक सुविधाओं में भारी निवेश करने की आवश्यकता है जिससे कि आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ाकर प्रतिवर्ष 7% - 8% की जा सके और रोजगार के अधिक अवसर जुटाकर अपने जीवनकाल में गरीबी मिटा सकें। मुझे विश्वास है कि अर्थव्यवस्था में अगले दशक में आधारिक सुविधाओं में 150 बिलियन डालर तक का निवेश होगा जिससे हम अपनी वृद्धि दर को बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। इसमें से काफी भाग विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में होगा और काफी हिस्सा विदेश में स्थित भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश का होगा। भारत को आपके निवेश की जरूरत है। हम भारत को काफी आकर्षक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिससे कि आप यहां अधिक से अधिक निवेश कर सकें। मैं अपनी सरकार की ओर से भी इस बात की प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूँ कि वह जोखिम

उठाने और उद्यम की भावना बढ़ाने के लिए प्रेरक वातावरण तैयार करने की दिशा में कार्य करेगी।

आपका यह सम्मेलन 26 दिसंबर 2004 की सूनामी आपदा के परिप्रेक्ष्य से है। इस आपदा ने भारत तथा हमारे पड़ोसी देशों के हजारों परिवारों को उजाड़ कर रख दिया है। मैंने कई तटीय गांवों का दौरा किया है तथा कल ही मैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का दौरा करने जा रहा हूँ। मैं अपने देश तथा विदेश के लोगों की अत्यधिक उदारता को देखकर और जिस तरह से वे सहायता करने को आगे आ रहे हैं, उसे देखकर भावविह्वल हो गया हूँ। यद्यपि प्रारंभिक बचाव, राहत तथा तात्कालिक पुनर्वास संबंधी कार्य तो स्थानीय प्राधिकारियों तथा हमारे सुरक्षा बलों द्वारा ही किए जाने हैं। लेकिन आपदा पीड़ित व्यक्तियों के मध्यम तथा दीर्घकालिक पुनर्वास और प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में आपका समर्थन एवं सहयोग मिलने पर हमें बहुत खुशी होगी। आपमें से जो राहत कार्य में सहायता करना चाहते हैं, वे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान कर सकते हैं। मुझे याद है कि प्राकृतिक आपदा के शिकार व्यक्तियों के लिए राहत की अपील करते समय महात्मा गांधी ने एक बार कहा था "तुरन्त दान महा कल्याण" अर्थात् जो तुरन्त दान करता है वह एक प्रकार से दूगने के बराबर होता है।" मुझे विश्वास है कि आप में तत्काल सहायता करने की यही भावना मौजूद है तथा आप अपनी ओर से सहायता करने में काफी उदार होंगे।

मैं जानता हूँ कि आज इस बात की जरूरत है कि समय पर मित्र सहायता के लिए आगे आएँ। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि हमारा देश भाग्यशाली है जिसे सदैव विदेश स्थित भारतीयों का स्नेह मिलता रहा है। यदि आज हम आपकी उपलब्धियों और आपकी शिक्षा सिद्धियों से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि कल हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण में हमारे कार्यों से आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, कि 21वीं शताब्दी भारतीयों की शताब्दी होगी। समग्र विश्व न केवल हमारी ओर फिर से सम्मान और आदर की नजर से देखेगा, वह भी न केवल हमारी आर्थिक प्रगति के कारण बल्कि हमारे द्वारा प्रेषित एवं अनुरक्षित लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुलवाद एवं सर्वसमावेश (अर्थात् सबको साथ लेकर चलने) के सिद्धान्तों के कारण जो भारत को हमारी सदियों पुरानी संस्कृति एवं सभ्यता के विरासत के रूप में प्राप्त है।

स्वतंत्र भारत ने अपने लिए जो मार्ग चुना है उसका अनुसरण समग्र विश्व करना चाहेगा क्योंकि विश्व समाज अब यह अनुभव करने लगा है कि सामाजिक एवं मुक्त आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक सद्भावना, शांति, आर्थिक प्रगति एवं खुशहाली सर्वसमावेशी समाजों और उदार अर्थव्यवस्थाओं में ही फलती-फूलती है और यही संदेश भारत जिस संकटग्रस्त विश्व में हम सब जी रहे हैं उसे देना चाहता है।

मैं यह कामना करता हूँ कि इस सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है उनमें हमें सफलता मिले। ईश्वर आपका मार्ग प्रशस्त करें।"

धन्यवाद !

जय हिन्द !